

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री **डी०बी०डी० प्रो० व० रा० स्व० श्री मनोहरलाल** मध्यप्रदेश

2. वर्तमान धारित पद **बिस्ट केबलर**

3. वर्तमान वेतन **59100* अन्य भत्ते** अगली वेतन बृद्धि की तारीख **जुलाई 2021**

क्र.	उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्योरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वह जिसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट व अन्य जिससे अर्जित की गई हो तो उसका नाम और व्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	दीनदबालनगर गभीरिवा तागर कु 405-406	टाबा भवन	भवन	20, लाख		कुछ बचत करके एवं बैंक लोन द्वारा	कुछ नहीं	20500 गृह नि० मंडल में कुब किये हैं।
2								

1. जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य की सही-सही निर्धारण न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3. इसमें अत्यकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करे और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

(Signature)
अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर

10.10.2020

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

29-04-1987

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री

प्राण लिंग

मध्य प्रदेश

सहायक गैस III

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतन बृद्धि की तारीख:-

क्र.	उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वह जिसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट व अन्य जिससे अर्जित की गई हो तो उसका नाम और व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	लागा पुंगानरा	मकान	3 खण्ड.	5 आठवां रु		खरीद	500000 रु	
2								

1 जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य की सही-सही निर्धारण न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी:- मध्य प्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

पुंगानरा

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

नियुक्ति तिथि 04/07/2020

1997

1. अधिकारी / कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री अशोक सुयवर्ध मध्यप्रदेश

2. वर्तमान धारित पद हसिल

3. वर्तमान वेतन 29700 + DA अगली वेतन बृद्धि की तारीख:- 1.7.2020

क्र.	उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वह जिसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट व अन्य जिससे अर्जित की गई हो तो उसका नाम और व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पधारिया, आर	मठान	50X40=2000		सेतक	सेतक	-	-
2	लखवा, आर							

1. जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य की सही-सही निर्धारण न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3. इसमें अत्यकालीन पट्टे भी शामिल है।

टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

अधिकारी / कर्मचारी के हस्ताक्षर
9/10/2020

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

निर्धारित तिथि 04-07-1987

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री

राम शिवर

राम शिवर

मध्यप्रदेश

2. वर्तमान धारित पद

28800 TDA

01.07.2021

अगली वेतन बृद्धि की तारीख:-

क्र.	उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वह जिसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट व अन्य जिससे अर्जित की गई हो तो उसका नाम और व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	रानीवनगर वास-सागर	पेट्टा		5	पेट्टा	पेट्टा	8	9
2								

1. जहाँ लागू न हो, काट दीजिए।

2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य की सही-सही निर्धारण न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

टिप्पणी- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे दें।

रामशिवर

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

9-10-2020

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष 2020

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो श्री मध्यप्रदेश
 2. वर्तमान धारित पद अगली वेतन बृद्धि की तारीख:- 01.07.2021
 3. वर्तमान वेतन 28000 T-DA

क्र.	उस जिले, उपसंभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौरा		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वह जिसके नाम पर धारित है उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट व अन्य जिससे अर्जित की गई हो तो उसका नाम और व्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शनिश्चरी रणगजपति -सागर	पत्तुशका		शासन कर अनुदान	पत्तु	पत्तु	-	
2								

1. जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 2. ऐसे मामले में जहाँ मूल्य की सही-सही निर्धारण न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सदर में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
 3. इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।
 टिप्पणी:- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक आचरण नियम 1965 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरें दें।

अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर

8-10-2020